उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या सा-3-1508/दस-2011/301(48)08/2011
दिनांक 06 नवम्बर, 2011

कार्यालय ज्ञाप/शुद्धि पत्र

विषय : राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के पेंशन भुगतान एवं लेखांकन सम्बन्धी प्रक्रिया ।

उपर्युक्त विषयक वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-3-1374/दस-2011/301(40)08/2011 दिनांक 18 अक्टूबर, 2011 द्वारा, राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के सेवानिवृत्तिक देयों के भुगतान पर हुए व्यय को उचंत शीर्षों के अन्तर्गत पुस्तांकित किये जाने हेतु लोक लेखा में लेखाशीर्ष खोले जाने सम्बन्धी आदेश जारी किये गये हैं ।

2-केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, केन्द्र सरकार के पत्र संख्या-सी0पी0ए0ओ0/टेक/ए0आई0एस0/2007-08/1011-12 दिनांक 18 जनवरी, 2008 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अवकाश नगदीकरण का व्यय भार राज्य सरकार द्वारा ही वहन किया जाना है । अतः एतद्द्वारा मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति पर देय छुट्टी नगदीकरण हित लाभ का भुगतान कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2774/दस-2009 दिनांक 14 अक्टूबर 2009 द्वारा इस हेतु निर्धारित लेखाशीर्ष, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, से किया जायेगा-

"2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्तिक हित लाभ
01-सिविल
115-छुट्टी नगदीकरण हित लाभ
05-अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों के अवकाश का नगदीकरण-
33-पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ"

3- अन्य सेवानिवृत्त हित लाभों का भुगतान राज्य सरकार के लोक लेखा के अधोलिखित लेखाशीर्षों से किया जायेगा-

"8658-उचंत लेखा-
101-वेतन तथा लेखा कार्यालय उचंत
24-अखिल भारतीय सेवाओं से सेवानिवृत्त अधिकारियों के सेवानैवृत्तिक देय-
01- अधिवर्षता पेंशन
02- पेंशन का राशिकृत मूल्य
03- उपादान
04- परिवार पेंशन
05- अखिल भारतीय सेवाओं से सेवानिवृत्त अधिकारियों के स्वयं का एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों का चिकित्सा उपचार"

4- दिनांक 18 अक्टूबर, 2011 के कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर-7 में यह व्यवस्था की गयी थी कि अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों को प्रत्येक माह किये गये भुगतान से सम्बन्धित वाउचरों को कोषागारों द्वारा भुगतान अनुसूची सहित मासिक लेखों के साथ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद को अलग बण्डल में प्रेषित किया जायेगा ।

उक्त व्यवस्था में परिलक्षित व्यावहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत एतद्द्वारा यह आदेश दिये जाते हैं कि रक्षा पेंशन एवं रेलवे पेंशन की भांति ही कोषागारों द्वारा अखिल भारतीय सेवा के पेंशनरों के वाउचरों का अलग बण्डल अपर निदेशक, कोषागार, सिविल कार्यालय, इलाहाबाद को उपलब्ध

कराया जायेगा जो इन वाउचरों का संकलित विवरण तैयार कराकर महालेखाकार कार्यालय से लेखामिलान कराकर केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय से प्रतिपूर्ति करायेंगे । प्रतिपूर्ति की राशि लेखाशीर्ष "86580010124" के प्राप्ति पक्ष में जमा करायी जायेगी ।

दिनांक 18 अक्टूबर, 2011 का कार्यालय ज्ञाप उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे ।

(वृन्दा सरूप)
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या सा-3-1508(1)/दस-2011/301(48)08/2011तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रमुख सचिव/सचिव, नियुक्ति विभाग, गृह विभाग, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, इलाहाबाद ।
3- निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- निदेशक पेंशन, उत्तर प्रदेश, इंदिराभवन, लखनऊ ।
6- विशेष सचिव, इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
7- अपर निदेशक, कोषागार, शिविर कार्यालय, इलाहाबाद ।
8- वित्त नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
9- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश ।
10- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
11- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
12- समस्त अपर निदेशक, कोषागार एव पेशन, उत्तर प्रदेश ।
13- समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
14- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0), योजना भवन, लखनऊ ।

आज्ञा से

(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 70 सा0 वित्त–19–11–2011–(1241)–2000+2 प्रतियां–(आफसेट)।